रामगोपाल बनाम राजस्थान सरकार
2024/132
निर्णय दिनांकः–26.11.2024

डिक्री मूल वाद पत्र
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 132/2024

रामगोपाल उम्र 61 वर्ष पुत्र श्री रामनारायण जाति विश्नोई साकिन लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

—— वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

—— प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

दिनाँकः– 26/11/2024

वादी की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह अधिवक्ता और राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई** आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर वाद वादी तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद निम्नानुसार घोषणा की जाती हैः–

वादी के नाम दर्ज तहसील पीलीबंगा चक 11 एल.के.एस.–ए के प.नं. 8/278 (34) के कि.नं. 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 15/2, 15/3, 16 ता 25, कुल 3.163 हैक्ट. गोपाल पुत्र रामनारायण हिस्सा 2530/3163 जाति बिश्नोई साकिन लखासर खातेदार दर्ज राजस्व रिकॅार्ड के स्थान पर रामगोपाल पुत्र रामनारायण हिस्सा 2530/3163 जाति बिश्नोई साकिन लखासर खातेदार किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॅार्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 26/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.28 10:29:08 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा